न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

1. निगरानी/एल0आर0/46/2011/जोधपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जरिये प्रभारी अधिकारी श्री रामचन्द्र रायल पुत्र स्व0 श्री अमराराम रायल, आवासीय अभियंता, खण्ड–तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. छैलाराम पुत्र भभूताराम मेघवाल निवासी हरेरामा स्टीलयार्ड, झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।

2. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये सचिव ।

3. प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि),जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

अप्रार्थीगण

2. निगरानी/एल0आर0/47/2011/जोधपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जरिये प्रभारी अधिकारी श्री रामचन्द्र रायल पुत्र स्व0 श्री अमराराम रायल, आवासीय अभियंता, खण्ड–तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. हस्ताराम पुत्र श्री राणाराम मेघवाल निवासी हरेरामा स्टीलयार्ड, झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।

2. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये सचिव ।

3. प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि),जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

अप्रार्थीगण

3. निगरानी/एल0आर0/48/2011/जोधपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जरिये प्रभारी अधिकारी श्री रामचन्द्र रायल पुत्र स्व0 श्री अमराराम रायल, आवासीय अभियंता, खण्ड–तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती हस्तुदेवी पत्नि अन्नाराम मेघवाल निवासी हरेरामा स्टीलयार्ड, झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।

2. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये सचिव ।

3. प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि),जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

अप्रार्थीगण

4. निगरानी/एल0आर0/49/2011/जोधपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जरिये प्रभारी अधिकारी श्री रामचन्द्र रायल पुत्र स्व0 श्री अमराराम रायल, आवासीय अभियंता, खण्ड–तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. छैलाराम पुत्र भभूताराम मेघवाल निवासी हरेरामा स्टीलयार्ड, झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।

2. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये सचिव ।

3. प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि),जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

अप्रार्थीगण

5. निगरानी/एल0आर0/50/2011/जोधपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जरिये प्रभारी अधिकारी श्री रामचन्द्र रायल पुत्र स्व0 श्री अमराराम रायल, आवासीय अभियंता, खण्ड–तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. अन्नाराम पुत्र हेमाराम मेघवाल निवासी हरेरामा स्टीलयार्ड, झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।

2. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये सचिव ।

3. प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि),जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

अप्रार्थीगण

6. निगरानी/एल0आर0/51/2011/जोधपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जरिये प्रभारी अधिकारी श्री रामचन्द्र रायल पुत्र स्व0 श्री अमराराम रायल, आवासीय अभियंता, खण्ड–तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. अन्नाराम पुत्र हेमाराम मेघवाल निवासी हरेरामा स्टीलयार्ड, झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।

2. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये सचिव ।

3. प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि),जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

अप्रार्थीगण

7. निगरानी/एल0आर0/52/2011/जोधपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जरिये प्रभारी अधिकारी श्री रामचन्द्र रायल पुत्र स्व0 श्री अमराराम रायल, आवासीय अभियंता, खण्ड–तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती हस्तुदेवी पत्नि अन्नाराम मेघवाल निवासी हरेरामा स्टीलयार्ड, झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।

2. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये सचिव ।

3. प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि),जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

अप्रार्थीगण

8. निगरानी/एल0आर0/53/2011/जोधपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जरिये प्रभारी अधिकारी श्री रामचन्द्र रायल पुत्र स्व0 श्री अमराराम रायल, आवासीय अभियंता, खण्ड–तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. अन्नाराम पुत्र हेमाराम मेघवाल निवासी हरेरामा स्टीलयार्ड, झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।

2. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये सचिव ।

3. प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि),जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

अप्रार्थीगण

9. निगरानी/एल0आर0/54/2011/जोधपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जरिये प्रभारी अधिकारी श्री रामचन्द्र रायल पुत्र स्व0 श्री अमराराम रायल, आवासीय अभियंता, खण्ड–तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. छैलाराम पुत्र भभूताराम मेघवाल निवासी हरेरामा स्टीलयार्ड, झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।

2. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये सचिव ।

3. प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि),जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

अप्रार्थीगण

10. निगरानी/एल0आर0/55/2011/जोधपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जरिये प्रभारी अधिकारी श्री रामचन्द्र रायल पुत्र स्व0 श्री अमराराम रायल, आवासीय अभियंता, खण्ड–तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. छैलाराम पुत्र भभूताराम मेघवाल निवासी हरेरामा स्टीलयार्ड, झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।

2. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये सचिव ।

3. प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि),जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

अप्रार्थीगण

11. निगरानी/एल0आर0/56/2011/जोधपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जरिये प्रभारी अधिकारी श्री रामचन्द्र रायल पुत्र स्व0 श्री अमराराम रायल, आवासीय अभियंता, खण्ड-तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. अन्नाराम पुत्र हेमाराम मेघवाल निवासी हरेरामा स्टीलयार्ड, झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।

2. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये सचिव ।

3. प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि),जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

अप्रार्थीगण

12. निगरानी/एल0आर0/57/2011/जोधपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जरिये प्रभारी अधिकारी श्री रामचन्द्र रायल पुत्र स्व0 श्री अमराराम रायल, आवासीय अभियंता, खण्ड-तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. अन्नाराम पुत्र हेमाराम मेघवाल निवासी हरेरामा स्टीलयार्ड, झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।

2. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये सचिव ।

3. प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि),जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

अप्रार्थीगण

13. निगरानी/एल0आर0/58/2011/जोधपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जरिये प्रभारी अधिकारी श्री रामचन्द्र रायल पुत्र स्व0 श्री अमराराम रायल, आवासीय अभियंता, खण्ड-तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. हस्तोराम पुत्र राणाराम मेघवाल निवासी हरेरामा स्टीलयार्ड, झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।

2. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये सचिव ।

3. प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि),जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

अप्रार्थीगण

14. निगरानी/एल0आर0/59/2011/जोधपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जरिये प्रभारी अधिकारी श्री रामचन्द्र रायल पुत्र स्व0 श्री अमराराम रायल, आवासीय अभियंता, खण्ड–तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. अन्नाराम पुत्र हेमाराम मेघवाल निवासी हरेरामा स्टीलयार्ड, झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।

2. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये सचिव ।

3. प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि),जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

अप्रार्थीगण

15. निगरानी/एल0आर0/60/2011/जोधपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जरिये प्रभारी अधिकारी श्री रामचन्द्र रायल पुत्र स्व0 श्री अमराराम रायल, आवासीय अभियंता, खण्ड–तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. हस्ताराम पुत्र राणाराम मेघवाल निवासी हरेरामा स्टीलयार्ड, झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।

2. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये सचिव ।

3. प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि),जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

अप्रार्थीगण

16. निगरानी/एल0आर0/61/2011/जोधपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जरिये प्रभारी अधिकारी श्री रामचन्द्र रायल पुत्र स्व0 श्री अमराराम रायल, आवासीय अभियंता, खण्ड–तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. हस्ताराम पुत्र राणाराम मेघवाल निवासी हरेरामा स्टीलयार्ड, झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।

2. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये सचिव ।

3. प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि),जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

अप्रार्थीगण

17. निगरानी/एल0आर0/62/2011/जोधपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जरिये प्रभारी अधिकारी श्री रामचन्द्र रायल पुत्र स्व0 श्री अमराराम रायल, आवासीय अभियंता, खण्ड–तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. हस्ताराम पुत्र राणाराम मेघवाल निवासी हरेरामा स्टीलयार्ड, झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।

2. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये सचिव ।

3. प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि),जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

अप्रार्थीगण

18. निगरानी/एल0आर0/63/2011/जोधपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जरिये प्रभारी अधिकारी श्री रामचन्द्र रायल पुत्र स्व0 श्री अमराराम रायल, आवासीय अभियंता, खण्ड–तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती हस्तुदेवी पत्नि अन्नाराम मेघवाल निवासी हरेरामा स्टीलयार्ड, झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।

2. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये सचिव ।

3. प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि),जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

अप्रार्थीगण

19. निगरानी/एल0आर0/64/2011/जोधपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जरिये प्रभारी अधिकारी श्री रामचन्द्र रायल पुत्र स्व0 श्री अमराराम रायल, आवासीय अभियंता, खण्ड-तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. हस्ताराम पुत्र राणाराम मेघवाल निवासी हरेरामा स्टीलयार्ड, झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।

2. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये सचिव ।

3. प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि),जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

अप्रार्थीगण

20. निगरानी/एल0आर0/65/2011/जोधपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जरिये प्रभारी अधिकारी श्री रामचन्द्र रायल पुत्र स्व0 श्री अमराराम रायल, आवासीय अभियंता, खण्ड-तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. छैलाराम पुत्र भभूताराम मेघवाल निवासी हरेरामा स्टीलयार्ड, झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।

2. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये सचिव ।

3. प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि),जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

अप्रार्थीगण

21. निगरानी/एल0आर0/66/2011/जोधपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जरिये प्रभारी अधिकारी श्री रामचन्द्र रायल पुत्र स्व0 श्री अमराराम रायल, आवासीय अभियंता, खण्ड-तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. अन्नाराम पुत्र हेमाराम मेघवाल निवासी हरेरामा स्टीलयार्ड, झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।

2. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये सचिव ।

3. प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि),जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

अप्रार्थीगण

22. निगरानी/एल0आर0/67/2011/जोधपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जरिये प्रभारी अधिकारी श्री रामचन्द्र रायल पुत्र स्व0 श्री अमराराम रायल, आवासीय अभियंता, खण्ड–तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. अन्नाराम पुत्र हेमाराम मेघवाल निवासी हरेरामा स्टीलयार्ड, झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।

2. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये सचिव ।

3. प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि),जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

अप्रार्थीगण

23. निगरानी/एल0आर0/68/2011/जोधपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जरिये प्रभारी अधिकारी श्री रामचन्द्र रायल पुत्र स्व0 श्री अमराराम रायल, आवासीय अभियंता, खण्ड–तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. हस्ताराम पुत्र राणाराम मेघवाल निवासी हरेरामा स्टीलयार्ड, झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।

2. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये सचिव ।

3. प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि),जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

अप्रार्थीगण

24. निगरानी/एल0आर0/69/2011/जोधपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जरिये प्रभारी अधिकारी श्री रामचन्द्र रायल पुत्र स्व0 श्री अमराराम रायल, आवासीय अभियंता, खण्ड–तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. जगाराम पुत्र मंगलासराम मेघवाल निवासी हरेरामा स्टीलयार्ड, झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।

2. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये सचिव ।

3. प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि),जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

अप्रार्थीगण

25. निगरानी/एल0आर0/70/2011/जोधपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जरिये प्रभारी अधिकारी श्री रामचन्द्र रायल पुत्र स्व0 श्री अमराराम रायल, आवासीय अभियंता, खण्ड–तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. चेलाराम पुत्र भभूताराम मेघवाल निवासी हरेरामा स्टीलयार्ड, झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।

2. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये सचिव ।

3. प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि),जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

अप्रार्थीगण

26. निगरानी/एल0आर0/71/2011/जोधपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जरिये प्रभारी अधिकारी श्री रामचन्द्र रायल पुत्र स्व0 श्री अमराराम रायल, आवासीय अभियंता, खण्ड–तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. चेलाराम पुत्र भभूताराम मेघवाल निवासी हरेरामा स्टीलयार्ड, झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।

2. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये सचिव ।

3. प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि),जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

अप्रार्थीगण

7. निगरानी/एल0आर0/72/2011/जोधपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जरिये प्रभारी अधिकारी श्री रामचन्द्र रायल पुत्र स्व0 श्री अमराराम रायल, आवासीय अभियंता, खण्ड–तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. हस्ताराम पुत्र राणाराम मेघवाल निवासी हरेरामा स्टीलयार्ड, झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।

2. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये सचिव ।

3. प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि),जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

अप्रार्थीगण

28. निगरानी/एल0आर0/73/2011/जोधपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जरिये प्रभारी अधिकारी श्री रामचन्द्र रायल पुत्र स्व0 श्री अमराराम रायल, आवासीय अभियंता, खण्ड–तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. हस्ताराम पुत्र राणाराम मेघवाल निवासी हरेरामा स्टीलयार्ड, झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।

2. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये सचिव ।

3. प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि),जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

अप्रार्थीगण

29. निगरानी/एल0आर0/74/2011/जोधपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जरिये प्रभारी अधिकारी श्री रामचन्द्र रायल पुत्र स्व0 श्री अमराराम रायल, आवासीय अभियंता, खण्ड–तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती मांगू देवी पत्नि छैलाराम मेघवाल निवासी हरेरामा स्टीलयार्ड, झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।

2. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये सचिव ।

3. प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि),जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

अप्रार्थीगण

30. निगरानी/एल0आर0/75/2011/जोधपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जरिये प्रभारी अधिकारी श्री रामचन्द्र रायल पुत्र स्व0 श्री अमराराम रायल, आवासीय अभियंता, खण्ड–तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. हस्ताराम पुत्र राणाराम मेघवाल निवासी हरेरामा स्टीलयार्ड, झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।

2. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये सचिव ।

3. प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि),जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

अप्रार्थीगण

31. निगरानी/एल0आर0/76/2011/जोधपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जरिये प्रभारी अधिकारी श्री रामचन्द्र रायल पुत्र स्व0 श्री अमराराम रायल, आवासीय अभियंता, खण्ड–तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. छैलाराम पुत्र भभूताराम मेघवाल निवासी हरेरामा स्टीलयार्ड, झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।

2. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये सचिव ।

3. प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि),जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

अप्रार्थीगण

32. निगरानी/एल0आर0/77/2011/जोधपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जरिये प्रभारी अधिकारी श्री रामचन्द्र रायल पुत्र स्व0 श्री अमराराम रायल, आवासीय अभियंता, खण्ड–तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. हस्ताराम पुत्र राणाराम मेघवाल निवासी हरेरामा स्टीलयार्ड, झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।

2. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये सचिव ।

3. प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि),जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

अप्रार्थीगण

33. निगरानी/एल0आर0/78/2011/जोधपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जरिये प्रभारी अधिकारी श्री रामचन्द्र रायल पुत्र स्व0 श्री अमराराम रायल, आवासीय अभियंता, खण्ड-तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. हस्ताराम पुत्र राणाराम मेघवाल निवासी हरेरामा स्टीलयार्ड, झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।

2. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये सचिव ।

3. प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि),जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

अप्रार्थीगण

34. निगरानी/एल0आर0/79/2011/जोधपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जरिये प्रभारी अधिकारी श्री रामचन्द्र रायल पुत्र स्व0 श्री अमराराम रायल, आवासीय अभियंता, खण्ड-तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती हस्तु देवी पत्नि अन्नाराम मेघवाल निवासी हरेरामा स्टीलयार्ड, झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।

2. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये सचिव ।

3. प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि),जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

अप्रार्थीगण

35. निगरानी/एल0आर0/80/2011/जोधपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जरिये प्रभारी अधिकारी श्री रामचन्द्र रायल पुत्र स्व0 श्री अमराराम रायल, आवासीय अभियंता, खण्ड-तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती मांगू देवी पत्नि छैलाराम मेघवाल निवासी हरेरामा स्टीलयार्ड, झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।

2. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये सचिव ।

3. प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि),जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

अप्रार्थीगण

36. निगरानी/एल0आर0/81/2011/जोधपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जरिये प्रभारी अधिकारी श्री रामचन्द्र रायल पुत्र स्व0 श्री अमराराम रायल, आवासीय अभियंता, खण्ड–तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. हस्ताराम पुत्र राणाराम मेघवाल निवासी हरेरामा स्टीलयार्ड, झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।

2. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये सचिव ।

3. प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि),जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

अप्रार्थीगण

37. निगरानी/एल0आर0/82/2011/जोधपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जरिये प्रभारी अधिकारी श्री रामचन्द्र रायल पुत्र स्व0 श्री अमराराम रायल, आवासीय अभियंता, खण्ड–तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. जगाराम पुत्र मंगलाराम मेघवाल निवासी हरेरामा स्टीलयार्ड, झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।

2. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये सचिव ।

3. प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि),जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

अप्रार्थीगण

38. निगरानी/एल0आर0/83/2011/जोधपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, जरिये प्रभारी अधिकारी श्री रामचन्द्र रायल पुत्र स्व0 श्री अमराराम रायल, आवासीय अभियंता, खण्ड–तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. हस्ताराम पुत्र राणाराम मेघवाल निवासी हरेरामा स्टीलयार्ड, झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर।

2. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर जरिये सचिव ।

3. प्राधिकृत अधिकारी, विशेषाधिकारी (भूमि),जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री चैन सिंह पंवार, सदस्य

उपस्थित :-
श्री पी0 गण्डेविया)अभिभाषक प्रार्थी
श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा)
श्री दिनेश कुमार सैन, अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक : 19/9/11

यह निगरानियां (प्रकरण संख्या 46/11 से 84/11) अंतर्गत धारा 84 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) विरूद्ध संभागीय आयुक्त, जोधुपर के आलौच्य अपीलीय आदेश दिनांक 28.7.10 एवं नजरसानी प्रार्थना पत्र में पारित आदेश दिनांक 28.09.10 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। उपरोक्त सभी निगरारियों में विवादित भूमि एवं उसमें निहित कानूनी बिन्दू समान होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक लगायी जावे।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर को खसरा नं0 128, 129/2, व 131 की भूमि ग्राम सूथला में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही कर भूमि का कब्जा दिनांक 13.11.80 को दे दिया गया एवं खसरा नं0 130/2 की भूमि को अप्रार्थीगण द्वारा क्रय करना बताया एवं उक्त खसरे पर प्लॉट काटकर भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ हेतु नगर सुधार न्यास, जोधपुर के कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 90 बी अधिनियम का प्रस्तुत किया, जिस पर नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने 04.3.2008 को अप्रार्थीगण को पटटे जारी कर दिये। नगर सुधार न्यास, जोधपुर के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी (राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर) ने धारा 90 बी (7) अधिनियम की अपीले (अपील

संख्या. 121/2008 से अपील संख्या 139/2008 तक) संभागीय आयुक्त, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे संभागीय आयुक्त ने अपने निर्णय दिनांक 28.7.10 से निरस्त कर दी, प्रार्थी द्वारा उक्त वर्णित अपीलें निरस्त होने पर विभिन्न नजरसानी प्रार्थना पत्र (नजरसानी संख्या 01/2010 से 19/2010) अधीनस्थ न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर के समक्ष पेश की जिसे भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 28.9.10 द्वारा निरस्त कर दी । प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वर्णित अपीलों एवं नजरसानियों में पारित निर्णयों से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानियां इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की प्रकरण में बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का बहस में कथन है कि प्रार्थी को खसरा नं0 128, 129/2, व 131 की भूमि ग्राम सूथला में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही कर भूमि का कब्जा दिनांक 13.11.80 को दे दिया गया एवं खसरा नं0 130/2 की भूमि को अप्रार्थीगण द्वारा क्रय करना बताया एवं उक्त खसरे पर प्लॉट काटकर धारा 90 बी अधिनियम के अंतर्गत एक आवेदन पत्र नगर सुधार न्यास, जोधपुर के यहां भूमि को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ परिर्वतन हेतु प्रस्तुत कर किया । जिसमे नगर सुधार न्यास ने आपत्तियां प्राप्त करने हेतु एक विज्ञप्ति जारी की जिस पर प्रार्थी ने दिनांक 28.11.07 को आपत्तियां प्रस्तुत की, जिस पर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही दिनांक 04.3.2008 को अप्रार्थीगण को पटटे जारी कर दिये। विद्वान अभिभाषक का कथन है कि यह भूमि प्रार्थी की अवाप्तशुदा खसरा नं0 131 की भूमि है जिसे नगर सुधार न्यास ने खसरा नं0 130/2 बता कर पटटे जारी कर दिये। उक्त जारी पटटों की आड में अप्रार्थी खसरा नं0 131 पर कब्जा करने पर आमादा है। विद्वान अभिभाषक का आगे तर्क

कि नगर सुधार न्यास के उक्त आदेश दिनांक 04.3.2008 की अपीलें प्रार्थी ने संभागीय आयुक्त के समक्ष की जिसे संभागीय आयुक्त ने विरोधाभासी मौका रिपोर्ट का विश्लेषण किये बिना ही दिनांक 28.7.10 से निरस्त कर दी । उक्त आदेश की नजरसानियां अधीनस्थ न्यायालय में की जिसे भी उन्होंने बिना कोई स्पष्ट कारण बताये एवं पूर्व में पारित आदेश का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये बिना ही अपने आदेश दिनांक 28.9.10 से निरस्त कर दिया। विद्वान अभिभाषक ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.7.10 एवं दिनांक 28.9.10 को अपास्त करने एवं प्रस्तुत निगरानीयों को स्वीकार करने का कथन किया ।

5. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण का बहस में कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा अपनी क्रयशुदा भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ नगर सुधार न्यास के समक्ष धारा 90 बी (3) का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर नगर सुधार न्यास ने मौका मुआयना कर विधिनुसार दिनांक 04.3.2008 को पटटे जारी कर दिये जिसके विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 90 बी (7) अधिनियम की पोषणीय ही नही है। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि धारा 90 बी (9) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संभागीय आयुक्त द्वारा अपील में पारित निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है जिसके विरूद्व निगरानी पोषणीय नहीं है। विद्वान अभिभाषक का आगे तर्क है कि विवादित पटटे खसरा नं0 130/2 के बाबत जारी किये गये है जबकि प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि का खसरा नं0 131 है, इसलिए खसरा नं0 130/2 के बाबत जारी पटटो को चुनौती देने का हक प्रार्थी का नहीं बनता है। विद्वान अभिभाषक का आगे कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28.7.10 में राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.7.07 एवं अन्य तथ्यों का विश्लेषण करते हुए तथा साथ ही प्रार्थी राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपील में लिया गया आधार कि अप्रार्थीगण

खसरा नं0 130/2 की आड में खसरा नं0131 पर कब्जा करना चाहते है, के संबंध में निर्णय पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं होना मानते हुये प्रार्थी की अपील निरस्त कर दी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के विरूद्व सक्षम दीवानी न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ है जिसके साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में प्रार्थी को अप्रार्थीगण की कब्जा काश्त एवं उपयोग एवं उपभोग की भूमि में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पाबन्द किया जा चुका है। विद्वान अभिभाषक ने आगे कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत एस0बी0 सिविल रिट पिटीशन संख्या 74/09 राजस्थान आवासन मण्डल बनाम जग्गा वैगरह में पारित निर्णय दिनांक 14.12.09 के प्रकाश में भी प्रार्थी राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्रस्तुत निगरानियां सारहीन साबित होती है एवं विवादित पट्टों को चुनौती देने का अधिकार भी नहीं होना साबित होता है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति प्रस्तुत की जा रही है। विद्वान अभिभाषक का आगे तर्क है कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.7.10 एवं 28.9.10 के विरूद्व एक ही समय में अलग-अलग निगरारियां प्रस्तुत की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत है। विद्वान अभिभाषक ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.7.10 एवं 28.9.10 विधिसम्मत एवं न्यायिक प्रकिया के अनुसार होना बताते हुये उसे यथावत रखने एवं प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज करने का कथन किया । अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में मण्डल की एकलपीठ द्वारा पारित निगरानी/एल0आर0/6563/06 दिनांक 23.6.11 का उद्धरण पेश किया।

6. हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया ।

7. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रारम्भिक एवं मुख्य आपत्ति यह उठायी है कि धारा ९० बी (९) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संभागीय आयुक्त द्वारा अपील में पारित निर्णय अंतिम होता है जिसके विरूद्ध कोई निगरानी पोषणीय नहीं है । यहां पर हम धारा ९०बी, ९०बी (३) व ९० बी (९) के प्रावधान को उद्धरित करना उचित समझते है जो निम्न प्रकार है :-

धारा ९० बी

Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act and the Rajasthan Tenancy Act, 1955 -where before the commencement of the Rajasthan Laws Act, 1999, any person , holding any land for agricultural proposes has used or has allowed to be used such land or part thereof, as the case may be, for non-agricultural purposes or, has parted with possession of such land or part thereof, as the case may be, for consideration by way of sale or agreement to sell and/or by executing power of attorney and/or will or in any other manner, for purported non-agricultural use, the rights and interest of such person in the said land or holding or part thereof, as the case may be, shall be liable to be terminated and such land shall be liable to be resumed.

९०बी (३)

(3) When the tenant or the holder of such land or any person duly authorized by him, as the case may be, makes an application to the Collector or the officer authorised by the State Government in this behalf expressing his willingness to surrender his ri ghts in such land, with the intention of developing such land (for housing, commercial, institutional, semi - commercial, industrial, cinema or petrol pump purpose or, for the purpose of multiplex units, infrastructure projects or tourism projects or, for such other community facilities or public

utility purposes, as may be ntofied by the State Government) the Collector or the officer authorizes by the State Government in this behalf, shall upon being statisfied about the willingness of such person, order for terminatin of rights and interest of such person in the said land and order for resumption of such land.

<u>धारा ९०बी (९)</u>

9) The order passed by the Divisional Commissioner or the officer authorized by the State Government in this behalf in appeal under this section shall be final

उपरोक्त वर्णित प्रावधान के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा ९० बी की उप धारा (१) में सर्वोपरि खण्ड (Non-obstante Clause) का प्रयोग किया गया है जिसमें इस धारा का प्रभाव भू राजस्व अधिनियम के उपर/भारी (overriding effect)है तथा यह प्रावाधान अधिनियम के अन्य प्रावधानों के उपर है, इस प्रकार यह प्रावधान अधिनिमय का एक विशेष प्रावधान है। इस अधिनियम की धारा ९०बी के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भूमि में व्यक्ति के खातेदारी अधिकारों व हितों का पर्यावसान होता है तथा संबधित भूमि की कृषि प्रकृति समाप्त होकर ऐसी पर्यावसित एवं पुर्नग्रहित भूमि समस्त भार ग्रस्तताओं से मुक्त रूप में राज्य में निहित होकर संबधित स्थानीय निकाय में अधिनियम की धारा १०२क के अधीन रखी समझी जाती है तत्पश्चात उक्त अभ्यार्पित भूमि संबंधित व्यक्ति को भूमि के सुनियोजित विकास (यथा आबादी व अन्य प्रयोजनार्थ) के लिए स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। यह अधिनियम की धारा ९० बी स्वयं में एक सारभूत अधिष्ठाई (substantative) व प्रकियात्मक (procedural) विधि है जिसके अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी के विरूद्ध अपील के अधिकार संबधित संभागीय आयुक्त को दिये हे तथा संभागीय आयुक्त द्वारा इस संदर्भ में पारित किसी आदेश के विरूद्ध

राजस्व मण्डल को सुनवाई का कोई अधिकार धारा 90 बी के अंतर्गत नही दिया गया है । इसी प्रकार का अभिमत पूर्व में भी मण्डल की एकलपीठ द्वारा पारित अपने निर्णय संख्या निगरानी/एल.आर./6563/06 दिनांक 23.6.11 में दिया गया है।

8. प्रकरण में यह एक निर्विवाद तथ्यात्मक स्थिति है कि संभागीय आयुक्त, जोधपुर के समक्ष अधिनियम की धारा 90बी (7) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी, जोधपुर के प्रश्नगत निर्णय दिनांक 04.3.2008 के विरूद्ध अपील दायर की गयी है जिसमें संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा अधिनियम की धारा 90बी (7) के अधीन अपील में पारित किया गया आदेश दिनांक 28.7.10 धारा 90बी (9) के अनुसार अंतिम है तथा इस तरह का आदेश राजस्व मण्डल में श्रवणाधिकार से परे होने से उक्त अपीलीय आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत यह निगरानियां पोषणीय नहीं है। उक्त प्रकरण में जब मूल अपीलीय आदेश के विरूद्ध ही निगरानियां पोषणीय नहीं है तब संभागीय आयुक्त, जोधपुर के नजरसानी में पारित आदेश दिनांक 28.9.10 के विरूद्ध भी निगरानियां पोषणीय नहीं है तथा सभी निगरानियां खारिज योग्य है।

9. प्रार्थी द्वारा निगरानी मीमों में वर्णित अन्य बिन्दुओं पर निगरानियां पोषणीय नहीं होने से उनका विवेचन नहीं किया जा रहा है।

10. परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी निगरानियां खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(चैन सिंह पंवार)
सदस्य